झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) ल०सिं० राँची–07 / 2006 ..... / राँची, दिनांक .....

आदेश

श्री जुबैर अहमद, तदेन कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 में राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन में बरती गई अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प सं०–2555 दिनांक– 17.07.2009 द्वारा सिविल सेवा नियमावली –1930 नियम –55 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। दिनांक– 31.07.2010 को सेवानिवृत होने के पश्चात् आदेश सं०– 2371 दिनांक– 14.05.2015 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को पेंशन नियमावली के नियम– 43बी० में सम्परिवर्त्तित किया गया, जिसमें निम्न आरोप प्रतिवेदित है :–

आरोप सं०– 01

बेलडीह पंचायत के पैरवागोड़ा पक्का चेकडैम योजना का कार्य अधूरा छोड़कर योजना की उपयोगिता प्रभावित की गई तथा मिक्सचर मशीन एवं भाइबरेटर के किराये मद में अनुसूचित दर से अधिक का भुगतान कर वित्तीय अनियमितता बरती गई है।

आरोप सं०– 02

दलाही आर्टीजन वेल एवं चैनल निर्माण कार्य में रू० 1,11,803 / – का अनुपयोगी एवं अनियमित भुगतान किया गया जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। साथ ही इस योजना की चैनल की मोटाई 4" के बदले ढाई तीन ईंच का निर्माण कराया गया है जो स्पेशिफिकेसन के प्रतिकूल है एवं इसी कारण 485 मी० का 60% चैनल ध्वस्त हो गया तथा योजना की उपयोगिता संदिग्ध हो गई है। स्पष्टतः यह वित्तीय अनियमितता ही नहीं तकनीकी कदाचार भी है।

आरोप सं०– 03

अरालडीह में सूड़ी बाँध मरम्मति एवं नाली निर्माण योजना में बगैर प्रावधान के मशीन से कार्य कराने का प्रयास किया गया जिससे जन विरोध आरम्भ हुआ एवं योजना बाधित हुई तथा सिंचाई सुविधा किसानों को मुहैया नहीं कराया जा सका।

आरोप सं०– 04

चिलगड़ा तालाब जिर्णोद्धार एवं नाली निर्माण योजना में डैमफिल मद में मिट्टी के वर्गीकरण के आधार पर अनियमित भुगतान, पुराने तालाब की मिट्टी काटकर बाँध का निर्माण बगैर कम्पेक्शन के करना तथा मापी पुस्तिका का संधारण नहीं करना, गंभीर अनियमितता प्रमाणित करता है।

आरोप सं०– 05

बनचास में पोखरघुटू चेकडैम का निर्माण स्वीकृत प्राक्कलन के प्रावधानों के विपरीत कराना जो तकनीकी कदाचार के साथ–साथ गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

आरोप सं०– 06

खूँटी पंचायत के ठाकुरटाँड़ में चेकडैम एवं नाली निर्माण कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाना एवं मशीन किराये मद में रू० 7,790.00 का अनियमित भुगतान।

आरोप सं०– 07

गंझडीह में छलछलिया चेकडैम मरम्मति योजना में स्वीकृत प्राक्कलन के विरूद्ध औचित्यहीन परिवर्त्तन कर गार्डवाल का निर्माण कराना।

आरोप सं०– 08

योजनाओं के कार्यान्वय में बगैर प्रावधान के मिट्टी कार्य मद में मजदूरों के बदले मशीनों से कार्य कराना।

आरोप सं०– 09

लाभुक समिति के बदले कनीय अभियंता को अग्रिम देकर कार्य कराना।

आरोप सं०– 10

वर्ष 2005–06 के योजनाओं के कार्यान्वयन का दिनांक– 20.05.2006 तक मापी पुस्तिका संधारित नहीं करना तथा वर्ष 2005–06 में जारी अग्रिम का समायोजन दिनांक– 20.05.2006 तक नहीं करना स्पष्टतः वित्तीय अनियमितता है।

आरोप सं०– 11

योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रीलेवल का संधारण नहीं करना, योजना का गुण– नियंत्रण कार्य नहीं करना एवं प्रगति प्रतिवेदन समर्पित नहीं करना, तकनीकी कदाचार एवं सरकारी राशि के दुरूपयोग की मंशा प्रमाणित करती है।

2. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा उपर्युक्त वर्णित आरोप सं०–5, 7, 8 एवं 10 को प्रमाणित पाया गया जो निम्न रूप में है :–

(i) बनचास में पोखरधुट्टू चेकडैम का निर्माण स्वीकृत प्राक्कलन के प्रावधानों के विपरित कराना जो तकनीकी कदाचार के साथ–साथ वित्तीय अनियमितता है।

(ii) योजनाओं के कार्यान्वयन में बगैर प्रावधान के मिट्टी कार्य मद में मजदूरों के बदले मशीन से कार्य कराना।

(iii) गंझडीह में छलछलिया चेकडैम मरम्मति योजनाओं में स्वीकृत प्राक्कलन के विरूद्ध औचित्यहीन परिवर्त्तन कर गार्डवाल निर्माण कराना।

(iv) वर्ष 2005–06 के योजनाओं के कार्यान्वयन का दिनांक– 20.05.2006 तक मापी पुस्तिका में संधारित नहीं करना तथा वर्ष 2005–06 में जारी अग्रिम का समायोजन दिनांक– 20.05.2006 तक नहीं करना स्पष्टतः वित्तीय अनियमितता है।

3 संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक– 4634 दिनांक– 28.08.2015 द्वारा पेंशन से 5% की कटौती करने के दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा की गई। पृच्छा का जवाब अप्राप्त होने की स्थिति में स्मार पत्रांक– 5300 दिनांक– 12.10.2015 द्वारा पुनः स्मारित किया गया। प्रेषित किया गया पत्र विभाग को वापस नहीं हुआ तत्पश्चात् इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति सं०–2565 दिनांक–10.05.2016 का प्रकाशन किया गया। समाचार पत्र में प्रकाशित तिथि 12.05.2016 (PR. No 142258 (Water Resource) 2016 -17 है। उक्त के पश्चात् भी द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब नहीं दिया गया है।

4 अतएव पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अप्राप्त होने के स्थिति में एकपक्षीय निर्णय लेते हुए संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री जुबैर अहमद, तदेन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई, बोकारों के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है :–

(i) 5% (पाँच प्रतिशत) पेंशन की कटौती 10 (दस) वर्षों तक।

5 उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6 एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 4723 राँची/दिनांक 06/11/18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/ महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), वीरचन्द पटेल मार्ग, आर० ब्लॉक, बिहार, पटना–80001/उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो/ जुबैर अहमद, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता ग्राम–निमचक, पो०–बेलागंज, जिला–गया (बिहार) 804403 / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/11/18

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव